उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 176– काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०–08 दिनांक 19 फरवरी, 2009

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों के कार्मिकों को दिनांक 01–01–2006, 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से अनुमन्य मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें।

कार्यालय ज्ञाप

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर उ0प्र0 शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 शासन के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या वे0आ0–1–1775/दस–2008–42(एम)/08 दिनांक 08.12.2008 द्वारा दिनांक 01–01–2006, दिनांक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महगांई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	वेतन का 9 प्रतिशत
01–01–2008	वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	वेतन का 16 प्रतिशत

2. उपर्युक्त के क्रम में आदेश संख्या: 175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०–08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा आदेशित पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01–01–2006, 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	वेतन का 9 प्रतिशत
01–01–2008	वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	वेतन का 16 प्रतिशत

(क्रमशः – 2)

3. इस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व में कारपोरेशन के आदेश संख्या–189–वे0प्र0(30)/पाकालि/2006–14वे0प्र0(30)/2000, दिनांक 26–06–2006, आदेश संख्या–339–वे0प्र0 (30)/पाकालि/2006–14वे0प्र0(30)/2000, दिनांक 06–12–2006, आदेश संख्या–112–वे0प्र0(30)/पाकालि/ 2007–14वे0प्र0(30)/2000, दि0 15–06–2007, आदेश संख्या–304–वे0प्र0(30)/पाकालि/2007–14वे0प्र0(30)/ 2000, दिनांक 12–11–2007, आदेश संख्या–500–काविनी एवं वे0प्र0(29)/पाकालि/2008–06 काविनी/वे0प्र0/ 2008, दिनांक 30–05–2008 एवं आदेश संख्या 80–काविनी एवं वे0प्र0(29)/पाकालि/2008–06 काविनी/ वे0प्र0/2008, दिनांक 20–01–2009 द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई महंगाई भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जायेगा।

4. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु " मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा मे आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस ओदश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकिंत किया जोयगा अर्थात 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर दिनांक 01 अगस्त, 2009 से (दिनांक 01 सितम्बर, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 से 31–07–2009 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान आदेश संख्या .175–.काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०–08 दिनांक 19 फरवरी ,2009 के प्रस्तर–20 में प्राविधानित प्रकिया के अनुसार किया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र सिंह)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

(कमशः – 3)

संख्या : 176 (1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
9- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी-17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(कमश - 4)

19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 – 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

20- कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(बालकृष्ण भट्ट)
अपर सचिव